अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा।

रिर्पोटेबल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या नं0 1042 ऑफ 2012

महेश कुमार अपीलार्थी

बनाम

हरियाणा सरकार प्रतिवादीगण

निर्णय

श्री हेमंत गुप्ता, न्यायाधीश

- 1. यह अपील पंजाब और हिरयाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित 21.01.2009 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की मां सावित्री देवी की अपील को मंजूर की है और धारा 304—बी आईपीसी के दंडनीय अपराध के तहत 12.12.1995 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखता है। हालॉिक, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सजा को दस साल से घटाकर सात साल इस तथ्य को देखते हुए किया है कि अपीलकर्ता को 15 साल से अधिक की लंबी सुनवाई का सामना करना पड़ा है।
- 2. पीडब्लू 3 सोहन लाल / शिकायतकर्ता के बयान पर अभियोजन शुरू किया गया था— मृतक के पिता, जैसा कि जांच अधिकारी असीम खान पीडब्लू—9 ने दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने कहा कि 26.05.1991 को मृतक ओमवती से महेश कुमार ने शादी कर ली। लेकिन शादी के तुरंत बाद, उसके पित महेश कुमार, ससुर राजपाल, सास सावित्री और भाभी कमलेश उसे दुखी करते थे, क्योंकि वह उससे दहेज की मांग करते थे। शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया है कि उसने अपनी क्षमता से अधिक दहेज दिया, यहां तक कि शादी के एक साल बाद भी आरोपी को सोने की चेन दी। लेकिन वह तब भी संतुष्ट नहीं थे और इसलिए वह मृतक की पिटाई करते थे। मृतक ने शिकायतकर्ता को पत्र भेजकर उसे इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद, शिकायतकर्ता उस गाँव में गया, जहाँ उसकी बेटी रह रही थी और उससे और उसके ससुराल वालों से

मुलाकात की और उन्हें सूचित किया कि वह दहेज की उनकी मॉग को पूरा करने में असमर्थ है क्योंकि वह उसकी क्षमता से परे था और अपर्याप्त दहेज लाने के लिए उसकी बेटी को तंग ना किया जाये। शिकायतकर्ता ने कहा कि मृतक के ससुराल वालों ने उस समय माफी मांगी थी, जिसे उसके ससुर ने लिखित में दिया था और रक्षा बंधन पर उसे उसके माता—िपता के घर भेजने का वादा किया। बाद में, त्योहार के बाद, उसे अपीलकर्ता के साथ उसके वैवाहिक घर में वापस भेज दिया गया और उस समय शिकायतकर्ता ने उन्हें 1,000/— रूपये की राशि नकद में दी थी। लगभग दस महीने के बाद, अपीलकर्ता ने अपने भाई राजबीर के घर पर मृतक को छोड़ दिया और 5000/— रूपये की मांग की। यह आगे दावा किया गया है कि 03.02. 1994 को शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता को 2000/ रूपये का भुगतान किया जब वह मृतक को अपने साथ वापस लेने आया था और शेष राशि का भुगतान जल्द करने का वादा किया था। उस समय मृतक ने स्पष्ट रूप से आशंका व्यक्त की थी कि उसके ससुराल वाले उसे जीने नहीं देंगे, जबतक उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं होती। 08.02.1994 को शिकायतकर्ता को सूचना मिली कि उसकी बेटी सिविल अस्पताल ,गुड़गांव में समाप्त हो गई है। इस प्रकार, 09.02.1994 को एक एफ.आई.आर दर्ज किया गया था, अपीलकर्ता के खिलाफ मृतक के ससुर राजपाल, सास सावित्री और भाभी कमलेश।

- 3. जांच असीम खान (जांच अधिकारी) पीडब्लू 9 द्वारा की गई थी और सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। जांच पूरी करने के बाद, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गुड़गांव की अदालत में एक रिपोर्ट फाइल की गई थी, जिन्होंने केस को ट्राइल कोर्ट सुपुर्द कर दिया था। सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 304—बी आईपीसी के तहत आरोप तय किया गया था। सभी अभियुक्तों ने दोषी ना होने का दावा किया और मुकदमें का दावा किया। अभियोजन पक्ष ने सभी दस गवाहों की जांच की।
- 4. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता पीडब्लू—3 सोहन लाल और पीडब्लू—4 राजबीर (मृतक का भाई) के मौखिक सबूत बयानों के रूप में और मृतक द्वारा लिखित पत्रों से यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि मृतक को लगातार दहेज के लिए परेशान और कूरता का शिकार बनाया गया था और इस प्रकार से यह दहेज हत्या का मामला है। परीक्षण अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अभियोजन पक्ष केवल अपीलकर्ता / महेश कुमार (मृतका के पित) और सावित्री देवी (मृतक की सास) के खिलाफ अपना मामला साबित कर पाया है, जबिक अभियुक्त राजपाल और कमलेश के संबंध में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्हें कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई है और इसलिए ,उन्हें संदेह का लाभ दिया गया और उन्हें बरी कर दिया गया।
- 5. ट्रायल कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होकर, आरोपी महेश कुमार और सावित्री देवी ने उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने आरोपी सावित्री देवी को संदेह का लाभ

देते हुए उनको अपील की अनुमित दी और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया , जबिक अपीलकर्ता महेश कुमार की सजा को घटाकर सात साल कर दिया गया ।

- 6. उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता महेश कुमार इस अदालत के समक्ष अपील कर रहे हैं।
- 7. अपीलार्थी के वकील ने कहा कि धारा 304—बी आईपीसी के आवश्यक प्रतिपादक अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पत्र दहेज की मांग से संबंधित नहीं है और मृत्यु से दो साल पहले सोने की चेन की कोई मांग को लेकर है, और इसिलए, इसे मृतक की मृत्यु से तुरंत पहले नहीं कहा जा सकता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौत से कुछ समय पहले अपीलार्थी के परिवार की ओर से दहेज की कोई मांग थी। अतः ,घारा 304—बी के तहत अपराध अपीलकर्ता के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता।
- 8. राज्य के वकील ने कहा कि इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि शादी के 7 साल की भीतर मृतक की मृत्यु हुई और ऑर्गेनो फास्फोरस कीटनाशक के कारण अप्राकृतिक मृत्यु हुई । यह ध्यान दिलाया गया है कि रिकॉर्ड पर सबूत संदेह से परे स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि दहेज के कारण शादी के बाद उसे लगातार कूरता का सामना करना पड़ा।
- 9. इस मामले में पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठता है, और धारा 304—बी आईपीसी की आवश्यक सामग्री के संबंध में, यह है कि क्या मृतक की मौत के बीच क्रूरता या उत्पीड़ना का निकटवर्ती सांठगांठ संबंध है, जो उसके उपर दहेज की मांग के कारण किया गया है। धारा 304—बी इस तरह मतलब निकालता है:—
 - "304—बी दहेज हत्या (1) जहां किसी महिला की मौत किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसकी शादी के सात साल के भीतर सामान्य परिस्थितियों से विपरीत होती है और यह दिखाया गया है कि उसकी मृत्यु से तुरन्त पहले उसके पित या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा कूरता या उत्पीड़ना के अधीन दहेज की मांग के लिए या दहेज के संबंध में किया गया था, इस तरह की मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जायेगा, और ऐसे पित या रिश्तेदार को उसकी मौत का कारण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण:— इस उपधारा के अभिप्राय में, "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज निषेध अधिनियम , 1961 (28 आप 1961) की धारा 2 में है।

- (2) जो कोई भी दहेज हत्या करता है उसे सात साल से कम की सजा नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है ।
- 10. अदालत ने "सतवीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य " धारा 304—बी में "उसकी मौत से तुरन्त पहले" शब्दों के उपयोग के महत्व और उलझाव की जांच की , और इस तरह पायाः
 - "20. अभियोजन ,धारा 304—बी आईपीसी के तहत अपराध के मामले में सफाई के बोझ से बच नहीं सकता है कि उत्पीड़ना या कूरता दहेज की मांग से संबंधित था और यह भी कि इस तरह की कूरता या उत्पीड़ना "उसकी मृत्यु के तुरंत पहले" करी गई थी। धारा 304—बी में "दहेज" शब्द को समझना होगा क्योंकि इसे दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। उसकी परिभाषा इस प्रकार है:—
 - "2. "दहेज" की परिभाषा— इस अधिनियम में, "दहेज" से कोई ऐसी सम्पत्ति या मुल्यवान प्रतिभृति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय—
 - (क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को; या
 - (ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता—पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। "

XXXXX XXXXX XXXXX

22. यदि धारा 304—बी को लागू किया जाना है तो यह पर्याप्त नहीं है कि दहेज की मांग के साथ—साथ महिला का उत्पीड़न या कूरता की गई थी। लेकिन यह "उसकी मृत्यु के तुरंत पहले" हुआ होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वाक्यांश एक लचीली अभिव्यक्ति है और यह उसकी मृत्यु से ठीक पहले की अवधि की ओर इंगित कर सकती है या कुछ दिन के भीतर या उससे कुछ हफ्ते पहले भी। लेकिन उसकी मृत्यु से निकटता उस अभिव्यक्ति की धुरी है जिसकी ओर इंगित किया गया है। "उसकी मृत्यु से तुरंत पहले" इन शब्दों का विधायिका के द्वारा प्रयोग और दिए गए समय की त्रिज्या का उद्येश्य यह है कि उस विचार

पर जोर डाला जाए कि हर प्रकार की संभावनओं में उसकी मृत्यु इस तरह की कूरता या उत्पीड़न का ही परिणाम रही हो । दूसरे शब्दों में, उसकी मृत्यु और दहेज से जुड़ी हुई कूरता और उत्पीड़न, जो उस पर की गई के बीच में बोधगम्य/सुस्पष्ट कड़ी होनी चाहिए। यदि उसकी मृत्यु और उस पर की गई कूरता और उत्पीड़न के बीच का अंतराल व्यापक/काफी है तो न्यायालय यह अनुमान लगाने की स्थिति में होगा कि सभी परिस्थितियों में, उत्पीड़न या कूरता उसकी मौत का तात्कालिक कारण नहीं रही होगी। इसलिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को यह तय करना है कि क्या उस विशेष मामले में उक्त अंतराल इस अवधारणा "उसकी मृत्यु के तुरंत पहले" से संबंध विच्छेद करने के लिए पर्याप्त था।

11. **हीरा लाल और अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. सरकार) दिल्ली***2 में इस न्यायालय ने यह माना है कि यह दिखाने के लिए सामग्री होनी ही चाहिए कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले पीड़िता के साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को दरनिकनार करना होगा तािक इसे सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई मृत्यु के दायरे में लाया जा सके। यह पाया गया था कि :-

"9. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी का संयुक्त पठन यह दिखाता है कि यह दिखाने के लिए कि उसकी मृत्यु से तुरंत पहले पीड़िता को कूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, इस बारे में अवश्य ही सामग्री होनी ही चाहिए। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकिस्मिक मृत्यु की संभावना को दरिकनार करना होगा तािक इसे "सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई मृत्यु" के दायरे में लाया जा सके। "तुरंत पहले" यह अभिव्यक्ति बहुत अधिक प्रासंगिक है जहाँ पर कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी को सेवा में लाया जाता है। अभियोजन यह दिखाने के लिए बाध्य है कि घटना के तुरंत पहले कूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उसी स्थिति में अनुमान लगाया/संचालित किया जा सकता है। उस संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में होना चाहिए। "तुरंत पहले" एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और ऐसा कोई सीधा सूत्र/नुस्खा नहीं बनाया

^{*2(2003) 8} एस सी सी 80

जा सकता जो यह बता सके कि "घटना से पहले की अवधि" से क्या अभिप्राय है। किसी

निश्चित अवधि को इंगित करना खतरनाक होगा और यह "निकटता परीक्षण" के महत्व को लाता है– दहेज हत्या के अपराध के साथ साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत "मानने / अनुमान लगाने" यानि दोनों परिस्थितियों में साक्ष्य के लिए । अभिव्यक्ति "उसकी मौत से तुरंत पहले" जो मूल / मौलिक धारा 304 बी भारतीय दंड संहिता और धारा 113 बी साक्ष्य अधिनियम में इस्तेमाल की गई है, यह " निकटता परीक्षण " के विचार के सहित ही मौजूद है। कोई निश्चित अवधि इंगित नहीं की गई है और अभिव्यक्ति "तुरंत पहले" परिभाषित नहीं है। धारा 114, साक्ष्य अधिनियम के दृष्टांत (ए) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति " तुरंत पहले" की ओर संदर्भ करना / देखना प्रासंगिक है। यह कहता है कि न्यायालय यह उपधारित कर सकता है कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। उस अवधि का निर्धारण जो "तुरंत पहले" शब्द के भीतर हो सकता है, इसका निर्धारण करना न्यायालय पर छोड़ दिया गया है और ऐसा करते हुए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर निर्भर करता है। तथापि यहाँ यह संकेत करना पर्याप्त/काफी होगा कि अभिव्यक्ति "तुरंत पहले" का सामान्यतः अर्थ यह होगा कि मृत्यु और संबंद्ध कूरता या उत्पीड़न के बीच का अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए। संबद्ध मृत्यु और दहेज पर आधारित कूरता के प्रभाव के बीच एक समीपवर्ती और जीवंत कड़ी अवश्य ही होनी चाहिए। यदि कूरता की कथित घटना काफी पहले हुई और यह इस हद तक पुरानी हो गई कि इससे संबंधित महिला का मानसिक संतुलन न बिगड़े, तो ऐसी स्थिति में यह महत्वहीन होगी।

- 12. **सकतर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य *3** में न्यायालय यह पड़ताल कर रही थी कि क्या मृतक के द्वारा लिखा गया पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी का अपराध प्रकट करता है। यह माना गया था कि :--
 - "11. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम अब अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में दिए गए सबूतों पर विचार करेंगे। इस प्रक्रिया में हम पहले मृतक द्वारा उसकी माँ को लिखे गए पत्र की जाँच करेंगे। हालाँकि इस पत्र में उस तारीख का उल्लेख नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि इसे 20.05.1986 को पोस्ट किया

^{*3(2004) 11} एस सी सी 291

गया था जो कि लिफाफे पर मिली पोस्टल सील से स्पष्ट है जो दविंदर कौर और बच्चों की मौत की घटना से पहले की तारीख होगी।

पत्र की सामग्री से संकेत मिलता है कि उसकी माँ के ससुराल जाने के दौरान क्या हुआ और कही भी दूर—दूर तक उसके ससुराल वालों द्वारा की गई किसी भी माँग का संकेत नहीं देता है। यह केवल उसके ससुराल वालों के प्रति मृतक के दृष्टिकोण को दर्शाता है और यह की उसने यह महसूस किया कि उसकी माँ से अंतिम मुलाकात के दौरान उसकी सास ने उनसे उचित व्यवहार नहीं किया था।"

- 13. मेजर सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य*4 में न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की कहानी को नहीं माना और इसका कारण यह था कि किसी भी आजाद गवाह की जांच पड़ताल नहीं की गई थी, हालांकि गवाह ने यह गवाही दी थी की पंचायत के सदस्य को उत्पीड़न के बारे में बताया गया था।
- 14. वर्तमान मामले में, अभियोजन ने पी.डब्ल्यू 13 सोहन लाल—पिता और पी.डब्ल्यू 4 राजबीर—मृतक के भाई के बयानों पर भरोसा किया है, जिसे निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्वि के लिए आधार बनाया गया है। हालॉिक आजाद साक्ष्य के अभाव में, जो कि मौजूद होने के बावजूद जॉचे नहीं गए हैं, हम यह पाते हैं की ऐसे बयान यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मृतक की मृत्यु से तुरंत पहले उसके साथ दहेज की मॉग से संबंधित कूरता का व्यवहार किया गया था। एक मैमोरेंडम एकसहीविट पीई/1 दिनांकित 25.01.1992 पर भरोसा किया गया था और यह कहा गया था कि इसे पंचायत के सदस्यों की मौजूदगी में मृतक के ससुराल वालों द्वारा निष्पादित किया गया था। लेकिन समझौता, जो कि किया गया था, उसे साबित करने के लिए पंचायत सदस्यों में से किसी की भी जॉच पडताल नहीं हुई है। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए पत्रों को देखते हुए, मौखिक बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- 15. अभियोजन पक्ष मृतक द्वारा उसके पिता को लिखे गए पत्र एकसहीविट पी एफ / 1 पर भी भरोसा करता है। यह पत्र इस प्रकार से है कि उसके ससुराल वाले मृतक के पिता से नफरत करने और उन पर संदेह करने लगे हैं, इसलिए, उन्हें सोने की चेन नहीं, बिल्क केवल नकदी देनी चाहिए। ऐसा पत्र यह नहीं दर्शाता है कि अपीलकर्ता द्वारा कुछ भी मॉग की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा इस तरह के पत्र को भेजने की तारीख भी साबित नहीं की गई है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा पत्र उसकी मृत्यु के तुरंत पहले लिखा गया था। इसी प्रकार अभियोजन द्वारा एक अन्य पत्र पेश किया गया है जो कि एकसहिबिट पीके / 1 है, जो कि मृतक द्वारा उसके जीजा को लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि उसे अपनी सास

^{*4(2015) 5} एस सी सी 201

8

और ननद से कोई समस्या नहीं है परंतु उसका पित उसे रोज पीटता है। ना तो इस पत्र की तारीख को

साबित किया गया और ना ही इस प्रकार का पत्र किसी प्रकार के अनुमान / इशारे तक ले जाता है कि मृतक

के पति द्वारा दहेज की मॉग की गई। आगे, एक अन्य पत्र पर अभियोजन द्वारा भरोसा किया गया जो की

एक्सहीबिट पीजी / 1 दिनांकित 25.05.1992 है, जिसमें मृतक ने यह लिखा है कि वह नाखुश है और उसके

ससुराल वाले उसका उत्पीड़न करते हैं और यहाँ तक की उसकी सास उसके द्वारा बनाए गए भोजन को भी

पसंद नहीं करती है। फिर से, इस पत्र में भी किसी भी प्रकार से दहेज की मांग की ओर इशारा / इंगित नहीं

किया गया है। इसलिए, पत्रों के आकार में दस्तावेजी साक्ष्य अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं करते है।

16. ऊपर उल्लिखत निर्णयों के मद्धेनजर, अभियोजन पक्ष दहेज की माँग या उसकी मृत्यु के तुरंत पहले की

गई दहेज की माँग, दोनों को, साबित करने में नाकाम रहा है। इसलिए, अभियोजन द्वारा भारतीय दंड संहिता

की धारा 304 बी के अपराध के आवश्यक तत्व साबित नहीं होते हैं। अभियोजन पक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा

113 बी के शुरूआती अनुमान को साबित करने में विफल रहा है।

7. हम यह पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे

तक साबित करने में विफल रहा है। फलस्वरूप, हम वर्तमान अपील को मंजूर करते हैं और अपीलकर्ता की

सजा को दरिकनार करते हैं और उसे स्वतंत्र करते हैं जब तक की वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

जमानत बांडो (मुचलकों) को डिस्चार्ज (भार-मुक्त) कर दिया जाए।

एल.नागेश्वरा राव, न्यायाधीश.

हेमंत गुप्ता , न्यायाधीश.

नई दिल्ली अगस्त 7, 2019

×××××××

अस्वीकरणः क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिए है एवं इसका प्रयोग

किसी अन्य उद्धेश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्धेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रमाणित होगा

तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्धेश्य के लिए प्रभावी माना जाएगा ।

Disclaimer:-The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

Page No.01 to 05 of judgment in Crl Appeal No. 1042 of 2012 has been Translated by shri Lekh Nath Gautam, Translator and 06 to 10 of Judgment in Crl Appeal 1042 of 2012 has been Translated by Shri Vishal Kumar, Translator. Typed by Neeraj Kumar Mishra. Senior Assistant.